राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR
(An Institute of National Importance)
G.E. Road, Raipur - 492010 (C.G.)
: +91-771-2252700 : +91-771-2253104 : www.nitrr.ac.in : registrar@nitrr.ac.in

ई-निविदा क्रमांक : NITRR/S&P/VehicleHiring/OT/2023/ Dated: 10/10/2023

किराये पर वाहन लेने हेतु ई-निविदा

ई-निविदा ऑनलाइन सबमिट करने की अंतिम तिथि : 01/11/2023 18:00 बजे तक
ई-निविदा खुलने की तिथि : 03/11/2023 16:00 बजे
ई-निविदा फॉर्म फीस : ₹ 590/- (GST सहित)
धरोहर राशि का विवरण : ₹ 5000/-(वापसी योग्य)

वेबसाइट: www.tenderwizard.com/NITR (निविदा फॉर्म डाउनलोड एंड सबमिट करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल), www.nitrr.ac.in (निविदा फॉर्म डाउनलोड एंड निविदा सम्बन्धी अन्य जानकारी हेतु संस्थान की वेबसाइट)

-सही -
कुलसचिव
राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान,
रायपुर(छ.ग.)

<u>**परिशिष्ट-एक**</u>

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर किराये पर वहां हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है| विशेष नियम एवं शर्तें परिशिष्ट-तीन में उल्लेखित है। कैटेगरी एक वाहन में सम्मिलित वाहन निम्नानुसार हैः-

वाहन
मारुति डीजायर , टाटा टिगोर, हुंडई एक्ससेंट, फिगो एस्पायर, होंडा अमेज़ एवं समकक्ष

(अ) निविदाकर्ता हेतु अर्हताएँ:-

क्र.	**निविदा की अर्हताएं**	**आवश्यक दस्तावेज**
1.	निविदाकर्ता को संस्थान/ पार्टनरशिप फर्म/ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी/प्रोपायटरी फर्म/ प्रोप्राइटर होना चाहिए।	1. संस्थान/पार्टनरशिप फर्म/कोऑपरेटिव्ह सोसायटी के लिए - संस्थान/ पार्टनरशिप फर्म/प्रोप्राइटर/कोऑपरेटिव्ह सोसायटी के रूप में पंजीकरण का दस्तावेज। 2. PAN कार्ड| 3. वस्तु एवं सेवा कर(GST) पंजीकरण प्रमाण पत्र|

<u>**(ब) सामान्य शर्तें:-**</u>

1. निविदा दस्तावेज संस्थान की वेबसाइट www.nitrr.ac.in एवं ई-टेंडरिंग पोर्टल www.tenderwizard.com/NITR से डाउनलोड किया जा सकता है | निविदा केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा की जावेगी एवं अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नही किया जायेगा|

2. वाहन का उपयोग सस्थान के कार्यालयीन कार्य हेतु रायपुर शहर/छत्तीसगढ़ राज्य/अंतर्राज्य में कहीं पर भी किया जावेगा। वाहन का उपयोग वाहन लगाने की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि, से एक वर्ष के लिये किया जावेगा। अनुबंध की अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। वाहन चालन की मासिक दर 1000 कि.मी. के लिए एवं उससे अधिक चलाने की दर अलग-अलग दर्शायी जावे। वाहन को एक वर्ष तक के लिए किराये पर लिया जावेगा जो अगले दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वाहन तीन वर्ष से पुराने न हो तथा 30,000 कि.मी. से अधिक न चले हो।

3. संस्थान के हित में किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है, चाहे वह न्यूनतम दर हो अथवा न हो। उक्त हेतु कारण बताना संस्थान के लिये आवश्यक नहीं होगा।

4. वाहन किराये पर लिये जाने की दरें एवं वाहन का प्रकार, मेक, मॉडल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का किराया प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक तथा 1000 कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. किराया दर निर्धारित परिशिष्ट-दो में ही भरें।

5. यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा, निविदा के अन्तर्गत नवीन वाहन खरीदकर संस्थान में किराए पर लगाना है, तब वह परिशिष्ट-दो में नवीन वाहन खरीदना स्पष्टतः दर्शायें। वाहन लगाने के पूर्व इस कार्यालय को संस्थान के अधिकृत विक्रेता के माध्यम से वाहन खरीदने का साक्ष्य प्रेषित करें। यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा वर्तमान में उपलब्ध वाहन को निविदा के अन्तर्गत किराए पर लगाना है, तब वाहन का रजिस्ट्रेशन (टेक्सी कोटा में) एवं इन्श्योरेंस की फोटोकॉपी अपने निविदा के साथ संलग्न करें।

6. निविदा के साथ वाहन के लिए अमानत राशि (EMD) ₹ 5,000/- (रूपये पाँच हजार मात्र) होगी, जो कि ऑनलाइन माध्यम ई-टेंडरिंग पोर्टल www.tenderwizard.com/NITR से भुगतान होगा|

7. निविदाकर्ता को निविदा निम्न प्रकार से जमा करनी होगी:-

(i) निविदा में सम्मिलित होने हेतु निविदाकर्ता के पास यूजर आई डी एवं पासवर्ड होना चाहिए, यूजर आई डी एवं पासवर्ड को वार्षिक पंजीकरण शुल्क ₹ 2000+ GST@18% ITI Limited को ई-पेमेंट द्वारा भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है| इसके साथ ही निविदाकर्ता के पास क्लास-3 डिजिटल सिग्नेचर होना अनिवार्य है जो कि CCA(Controller of Certifying Authority, India) द्वारा मान्य हो| किसी प्रकार की सहायता हेतु हेल्पडेस्क में कॉल करें(हेल्पडेस्क नं.- 011-49424365, 8800991863)|

(ii) निविदा सम्बन्धी दस्तावेज को ई-टेंडरिंग पोर्टल में निर्देशानुसार ही स्कैन करके अपलोड करना हैं| किसी अन्य माध्यम से दस्तावेज स्वीकार नही होगा|

(iii) निविदा पत्र सम्बंधित किसी प्रकार की समस्या पर storenpurchase@nitrr.ac.in पर ईमेल करें|

(iv) प्राइस बिड को www.tenderwizard.com/NITR से Microsoft Excel format में डाउनलोड करके, उसमें मूल्य भरकर एवं सेव करके पोर्टल पर अपलोड करना है|

8. निविदा शुल्क ₹ 590/-(18% GST सहित) देय होगा जो ई-टेंडरिंग पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान करना होगा|

9. निविदा खोलने के उपरांत न्यूनतम दर प्रदाता फर्म/फर्मों को 15 दिवस के भीतर वाहन को निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। निरीक्षणोपरांत स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जावेगा।

10. निविदा अन्तर्गत आदेश प्रसारित करने योग्य फर्म को किराये हेतु संस्थान से अनुबंध करने एवं वाहन लगाने से पूर्व वार्षिक देय राशि का 05 प्रतिशत(%) राशि डीडी/बैंकर्स चेक (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा)/बैंक की सावधि जमा रसीद जो कि निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के नाम पर हो, के माध्यम से सुरक्षा निधि के रूप में संस्थान के पास जमा करना होगा। फर्म के निवेदन पर सुरक्षानिधि की कटौती उनके प्रथम तीन देयकों से भी की जा सकती है। सुरक्षा निधि की वापसी सफलतापूर्वक अनुबंध की समाप्ति पर की जायेगी। आदेश की कंडिकाओं का उल्लंघन करने पर उक्त सुरक्षा निधि को राजसात किया जा सकता है।

11. अनुबंध करने के समय आदेशित फर्म द्वारा वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति को इस कार्यालय में अवलोकन हेतु छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

12. प्रस्तुत निविदा पर अपना सही पता टेलीफोन नंबर, मोबाईल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें ताकि संस्थान द्वारा आपसे पत्राचार किया जा सके। गलत अथवा अपूर्ण पता होने के कारण NIT Raipur के द्वारा भेजे गये पत्र एवं सूचना के न मिलने पर NIT Raipur उत्तरदायी नहीं होगी।

13. वाहन प्रदायकर्ता द्वारा उललेखित दरें अनुबंध की अवधि के लिए स्थिर (Fixed) रहेगी। तथापि इन दरों में ईंधन के मूल्य में बढ़ोतरी/कमी एवं भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन में वृद्धि के कारण वृद्धि की राशि अतिरिक्त देय होगी।

उक्त दोनों बिंदुओं पर मूल्य में वृद्धि निम्नानुसार देय होगी:-

(i) ईंधन के मूल्य में वृद्धि/कमी के कारण: - इस हेतु दिनांक 01/06/2023 की स्थिति में रायपुर में लागू पेट्रोल/डीजल का मूल्य बेस रेट होगा। बेस रेट में प्रति रू. 10/प्रति लीटर की वृद्धि/कमी होने पर अतिरिक्त राशि देय/वसूली योग्य होगी, जिसकी गणना संस्थान द्वारा निर्धारित किया जायेगा। इस हेतु प्रति दो माह के दौरान प्रचलित औसत रेट के आधार पर गणना की जाएगी। किसी दो माह की अवधि में वाहन प्रदाय की अवधि 45 दिनों से कम होने की स्थिति में उक्त अवधि हेतु ईंधन के मूल्य में कोई वृद्धि/कमी मान्य नहीं होगी।

(ii) न्यूनतम मजदूरी दरों में बदलाव के कारण: - भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित ड्रायवर श्रेणी के न्यूनतम वेतन में बदलाव के कारण न्यूनतम मजदूरी दरों में बदलाव किया जायेगा।

(iii) ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं बोनस में बदलाव के कारण:- उक्त मद में बदलाव भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के EPFO/ESIC अधिनियम के अनुसार होगा।

14. NIT Raipur को यह अधिकार है कि किसी भी परिस्थिति में निविदा खोलने संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार निरस्त की जा सकती है एवं NIT Raipur द्वारा इस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है।

15. संचार व्यवस्था में अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब हेतु संस्थान उत्तरदायी नहीं होगी।

16. वाहन प्रदायकर्ता फर्म को श्रम आयुक्त, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत वाहन चालक को भुगतान सुनिश्चित करना होगा एवं वैधानिक आवश्यकता अनुसार, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. एवं बोनस की राशि भुगतान/निर्धारित खाते में जमा करनी होगी।

17. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्र. F. 6/1/2023-PPD दिनांक 06/01/2023 के अनुसार सर्विस चार्ज न्यूनतम 3.85% होना चाहिए| इससे कम सर्विस चार्ज दर्शित करने पर निविदा पर विचार नही किया जावेगा|

18. निविदा अन्तर्गत वाहन सेवा हेतु फर्म को जारी कार्य आदेश की किसी भी शर्त का उलंघन पाये जाने पर अथवा फर्म द्वारा संतोषजनक सेवा उपलब्ध न कराने पर अथवा संस्थान द्वारा आवश्यकता न होने पर संस्थान द्वारा 30 दिवस को नोटिस जारी कर कार्य आदेश को निरस्त किया जा सकेगा।

19. वाहन के किराये हेतु प्रस्तुत सभी देयकों में से आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी। वित्तीय वर्ष के पश्चात् अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।

-सही -
कुलसचिव
राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान,
रायपुर(छ.ग.)

परिशिष्ट-दो

वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु दरें(टेबल-1)

निविदा क्रमांक: NITRR/S&P/VehicleHiring/OT/2023/ रायपुर, दिनांक

`	वाहन का विवरण					वाहन का किराया	
	वाहन का प्रकार	मात्रा	वाहन का मेक	मॉडल	पंजीयन क्रमांक	1000 कि.मी.चालन के लिए प्रतिमाह दर रुपये	1000 कि.मी. से अधिक चालन के लिए दर रुपये प्रति किलोमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मारुति डीजायर , टाटा टिगोर, हुंडई एक्ससेंट, फिगो एस्पायर, होंडा अमेज़ एवं समकक्ष	02 नग					
	GST		नियमानुसार प्रचलित दर पर GST का अतिरिक्त भुगतान आवश्यकतानुसार देय होगा|				

नोट:- निविदाकर्ता यदि वाहन खरीदकर लगाता है तो कॉलम 5 व 6 में इस बाबत् स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

परिशिष्ट-तीन

वाहन चालक को देय भुगतान(भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर पर)- (टेबल-2)

S. No.	Description	Skilled
01	Basic Wages plus Variable Dearness Allowance (VDA)	
02	ESI @3.25%	
03	EPF@13%	
04	Bonus as per G.O.I. Notification (Yearly Basis Only)	
05	Any other Charges, if any (please Specify) (monthly basis)	
06	**Service Charges (%)**	
07	**Service Charge Amount**	
08	**GST** (%)	
09	**GST Amount**	
10	**Grand Total**	

नोट: 1. यदि निविदाकर्ता EPF, ESIC में पंजीकृत नहीं हैं, उस स्थिति में संस्थान की आवश्यकतानुसार अथवा समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी संसोधन/निर्देशानुसार पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा|

2. निम्नतम निविदा निर्धारित करने हेतु टेबल-1 के कॉलम (7)- 1000 कि.मी.चालन के लिए प्रतिमाह दर रुपये एवं टेबल-2 के रॉ (8)- Service Charges Amount के योग को लिया जायेगा|

<u>परिशिष्ट-चार</u>

किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु विशेष नियम एवं शर्ते

1. अनुबंध करने के समय आदेशित फर्म द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्श्योरेंस की मूलप्रति का इस कार्यालय में अवलोकन हेतु छायाप्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. वाहन चालक द्वारा कार्य पर अनुपस्थित होने पर प्रतिदिन प्रति वाहन चालक दैनिक वेतन के बराबर की कटौती बिल में से की जावेगी व NIT Raipur वाहन को किसी अन्य वैध ड्राइविंग लायसेंस धारी सक्षम वाहन चालक से वाहन चलवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. वाहन के किराये हेतु प्रस्तुत सभी देयकों में से आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी। वित्तीय वर्ष के पश्चात् अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकेगा।
4. वाहन का शासकीय कर एवं बीमा पॉलिसी इत्यादि का भुगतान पूर्ण होना चाहिए। वाहन की बीमा पॉलिसी में पैसेन्जर का इन्श्योरेंस होना आवश्यक है एवं वाहन का पंजीयन तथा बीमा के अद्यतन दस्तावेज की छायाप्रति भावपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। नया वाहन होने की स्थिति में उपरोक्त दस्तावेज की छायाप्रति वाहन लगाये जाने के उपरांत जमा कराना आवश्यक है।
5. वाहन का कमर्शियल लाइसेंस होना अनिवार्य है , लाइसेंस नही होने की स्थिति में कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात एक निश्चित समय में कमर्शियल लाइसेंस प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा**| संस्थान की बस चलाने हेतु वाहन चालक के पास भारी वाहन चालन हेतु लाइसेंस होना अनिवार्य है|**
6. वाहन की दरें पेट्रोल/डीजल, आयल एवं अन्य व्ययों सहित दी जानी चाहिए।
7. वाहन किराये पर लेने के पश्चात् वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये संस्थान जिम्मेदार नहीं होगी। वाहन मरम्मत का संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति संस्थान द्वारा देय नहीं होगी।
8. वाहन के विस्तृत परीक्षण के उपरांत संतुष्ट होने के पश्चात् ही अनुबंधित किया जावेगा।
9. किसी भी माह में वाहन के उपयोग के कुल 24 घंटे से अधिक समय तक व्यवधान नहीं होना चाहिए। वाहन को 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति में वाहन मालिक को दूसरे समकक्ष वाहन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
10. वाहन दुर्घटना की स्थिति में भी समकक्ष वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वाहन अनुपलब्ध माना जायेगा एवं अनुपलब्धता के नियमानुसार कटौती की जायेगी।
11. वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर एवं किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक व्यवधान की स्थिति में वाहन के मासिक देयक से अनुपस्थित अवधि के लिए स्वीकृत समानुपाती दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना सहित कटौती की जाएगी।
12. वाहन 24 घंटे संस्थान की सेवा में ही रहेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार वाहन का चालन होगा।
13. संस्थान को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति में संस्थान के वाहन चालक से वाहन चलवा सके।
14. चालक की अनुपस्थिति में वाहन को अनुपलब्ध माना जा सकता है एवं कण्डिका (9) के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।
15. वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
16. वाहन किराये के बिल का भुगतान, बिल जमा करने के 30 दिवस के अन्दर सामान्यतः कर दिया जाता है। अपरिहार्य विलंब के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगी तथा कोई अतिरिक्त शुल्क मान्य नहीं होगा।
17. वाहन में समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
18. वाहन किराये पर देने हेतु किए जाने वाले अनुबंध के लिए ₹ 300/- का गैर-न्यायिक स्टॉम्प पेपर का मूल्य फर्म को वहन करना होगा।

19. टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क का भुगतान प्रथमतः वाहन मालिक द्वारा देय होगा, जिसे वास्तविक मूल पर संबंधित माह के मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।
20. वाहन का चुनाव एवं निरस्तता के लिये संस्थान के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
21. वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लाइसेन्स होना चाहिए। वाहन चालक को मृदुभाषी तथा अच्छा व्यवहार/आचरण का होना चाहिए। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन चालक बदलकर अच्छे वाहन चालक को नियुक्त करना होगा। चालक के वैध लाइसेन्स की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करनी होगी।
22. **आदेशित फर्म को 02 वाहन स्थायी रूप चालक के साथ उपलब्ध करानी होगी| आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या बढाई एवं घटाई जा सकती है|**
23. **आदेशित फर्म को कुल 09 वाहन चालक उपलब्ध कराने होंगे| संस्थान की आवश्यकतानुसार वाहन चालको की संख्या बढाई जा सकती है, जिन्हें केन्द्र सरकार के अंतर्गत दैनिक वेतन भोगी(न्यूनतम मजदूरी दर) के अनुसार देय भुगतान होगा| इस हेतु संस्थान में वर्तमान कार्यरत वाहन चालको को प्राथमिकता दी जावेगी|**
24. वाहन चालकों को वाहन नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार कर्तव्य निर्वहन करना होगा।
25. किसी भी माह में वाहन सिर्फ एक दिवस रखरखाव हेतु दिया जावेगा, रखरखाव के लिए वाहन किस दिन दिया जाना है, इसका निर्णय नियंत्रक/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।
26. वाहन चालकों के पास मोबाईल फोन भी उपलब्ध रहना चाहिए। इस हेतु NIT Raipur द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
27. वाहन चालक को न्यूनतम वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से नियमानुसार किया जाना आवश्यक है। वाहन प्रदाता द्वारा देयक के साथ एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वाहन चालक को शासन द्वारा लागू दरों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान कर दिया गया है एवं वैधानिक देयताएँ तथा ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों अनुसार जमा कर दी गई है।
28. वाहन केवल निर्धारित ईंधन पर चलाना स्वीकार किया जायेगा। वाहन का चालन अन्य किसी भी वैकल्पिक ईंधन पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
29. अनुबंधित अवधि के दौरान वाहन पर On NIT Raipur Duty अंकित करवाया जाये एवं अनुबंधित अवधि उपरांत उक्त शब्दों को हटाया जाना अनिवार्य होगा।
30. वाहन का पंजीकरण पंजीकृत संस्थान/फर्म/को-ऑपरेटिव सोसायटी के नाम पर होना चाहिए। व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत वाहन को निविदा अन्तर्गत किराया पर किसी अन्य व्यक्ति/फर्म द्वारा उपलब्ध कराने पर संबंधित व्यक्ति से वाहन किराये पर लगाने हेतु घोषणा प्रत्र दिया जाना होगा।

-सही -
कुलसचिव
राष्ट्रीय प्रोद्यौगिकी संस्थान,
रायपुर(छ.ग.)